भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3867

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का विकास

3867. श्रीमती लवली आनंदः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बिहार के शिवहर जिले के तरियानी प्रखण्ड के सलेमपुर और बेलाही दुल्ला गांवों में लगभग 270 एकड़ भूमि पर एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त औद्योगिक क्षेत्र में डेयरी, दुग्ध एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित और अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने, उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों को वित्तीय व अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): औद्योगिक क्षेत्र के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाते हैं। केंद्र सरकार बिहार सहित देशभर में उद्योग के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के प्रयासों को पूरक सहायता प्रदान करती है। इन पहलों में निवेश संवर्धन स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी) और अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से की गई पहलें, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी),

स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) शामिल हैं।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि शिवहर जिले के तरियानी ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए मौजा सलेमपुर क्षेत्र में 136.55 एकड़ और मौजा बेलाहिदुल्लाह क्षेत्र में 117.2372 एकड़, कुल संशोधित क्षेत्र 253.78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। दिनांक 18.07.26 को आरएफसीटीएलएआर अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत अधिसूचना को प्रकाशित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), भारत सरकार, बिहार के शिवहर जिले सहित देशभर में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम पात्र परियोजना लागत का 35% ऋण-संबद्ध अनुदान, 40,000 रुपये तक की सीड कैपिटल, लाभार्थियों के लिए क्षमता निर्माण, ब्रांडिंग और विपणन तथा इकाइयों के औपचारिकरण के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, 30 जून 2026 तक, बिहार के शिवहर जिले में डेयरी, दूध, कृषि आधारित उद्यमों सहित सभी उत्पादों के लिए 6.52 करोड़ रुपए की अनुमोदित राजसहायता के साथ 287 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यह स्कीम मांग आधारित है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी इच्छुक व्यक्ति/कंपनी मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र के उन्नयन या नई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना हेतु लाभ प्राप्त कर सकता है।

भारत सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) केंद्रीय क्षेत्र की एक मांग आधारित स्कीम - सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। यह स्कीम एमएसई के प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य संवर्धन, बाजार पहुंच और समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता

को सुगम बनाने के लिए साझा सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना और अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से पात्र प्रस्ताव प्राप्त होने और स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी स्वीकृति के अधीन, यह सहायता पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर को उपलब्ध है। वर्तमान में बिहार के शिवहर जिले के तारियानी ब्लॉक के सलेमपुर और बेलाही दुल्ला गांवों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन संरचना का प्रावधान करता है, जिसमें पात्र उच्च-मूल्य निवेशों के लिए निशुल्क औद्योगिक भूमि, पूंजी सब्सिडी, ब्याज अनुदान, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और निर्यात-संबद्ध सहायता जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसे कई क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों का सहयोग प्राप्त है, जिनमें बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025, जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2024, वस्त्र और चमड़ा नीति 2022 और बिहार स्टार्टअप नीति, 2022 आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर ये नीतियां विविधता पूर्ण और सतत औद्योगिक वृद्धि के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं।
